न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – श्री रतनलाल रेगर R.A.S.

प्रकरण संख्या : 06/2017 राजस्व अपील पत्र

उनवान

1. श्रीमति ममता धर्मपत्नि योगेश मानसिंहका निवासी भीलवाडा तहसील व जिला भीलवाड़ा (राज.)

—— **अपीलार्थी**

बनाम

1 ग्राम पंचायत उपरेडा जरिये सरपंच, ग्राम पचांयत उपरेडा तहसील बनेड़ा जिला भीलवाड़ा

2 राज. राज्य जरिये तहसीलदार बनेड़ा जिला भीलवाड़ा (राज.)

——**रेस्पोडेण्ट्स**

अपील अन्तर्गत धारा 75 राज. भू राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध नामा. संख्या 441 आदेश दिनांक 20–12–2006 ग्राम पंचायत उपरेडा

उपस्थित –

1. श्री मुरारी जोशी..... अपीलार्थी वकील
2. रेस्पोडेण्ट्स संख्या 2 उपस्थित

निर्णय

दिनांक – 17.10.2017

अपील के संक्षेप तथ्य यह है कि ग्राम खातनखेडी पटवार मण्डल उपरेडा भू0अ0निरीक्षक क्षैत्र उपरेडा के खतौनी संख्या के आराजी संख्या 1083 रकबा 07–02 बीघा भूमि दुदा पिता लादु गुर्जर, बाली बेवा लादु गुर्जर निवासी मेघरास नाम से दर्ज रेकार्ड थी जिससे अपीलार्थी द्वारा जरिये रजिस्टर्ड विक्रय विलेख क्रय कर सद्भाविक क्रेता के रूप में विवादित आराजीयात पर काबिज होकर उपयोग उपभोग करता चला आ रहा है। अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 441 दिनांक 20.12.2006 को विवादित आराजीयात के त्तकालीन खातेदार का स्टेट बेंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सरदारनगर में कृषि ऋण राशि बकायत होने से उक्त नामान्तरकरण ग्राम पंचायत उपरेडा द्वारा खारीज कर फैसल किया गया। जबकि वक्त तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 441 दिनांक 20.12.2006 को त्तकालीन खातेदार की कोई बेंक ऋण राशि स्टेट बेंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सरदारनगर में बकायत नही थी। फिर भी उपरोक्त तथ्यों को आधार मानकर हल्का पटवारी उपरेडा ने विवादित नामान्तरकरण संस्थित कर नामान्तरकरण खारिज करने हेतु तथाकथित नामान्तरकरण दर्ज कर भू–अभिलेख निरीक्षक से बाद जांच अधीनस्थ ग्राम पंचायत उपरेडा को अंतिम निस्तारण हेतु प्रस्तुत किया गया। इन तथ्यों की जानकारी किये बिना ही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा त्रूटीपूर्ण दर्ज कर नामान्तरकरण फैसल करवा लिया, जो कि विधि विरूद्ध होकर नामान्तरकरण अपास्त योग्य है। उक्त नामान्तरकरण की जानकारी

अपीलार्थीगण को 10–06–2017 को हुई तथा उनके द्वारा नकल लेकर विहीत समयावधि में अपील पेश की है। विलम्बित अवधि के लिए दफा 5 मियाद अधिनियम के तहत प्रा.पत्र प्रस्तुत कर क्षम्य किये जाने का अनुरोध किया। प्रा.पत्र की ताईद में शपथपत्र भी पेश हुआ। जिसका कोई खण्डन अभिलेख पर नहीं है। प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए अपीलार्थी/प्रार्थीगण का प्रा.पत्र दफा 5 स्वीकार किया जाकर विलम्बित अवधि क्षम्य की जाती है।

प्रकरण का मेरिट्स पर परीक्षण किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अध्ययन एवं मनन किया गया तथा उपस्थित अभिभाषक को सुना गया। अपीलाधीन प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय ने तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 441 दिनांक 20.12.2006 को त्तकालीन खातेदार की कोई बेंक ऋण राशि स्टेट बेंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सरदारनगर में बकायत होने को आधार मानकर खारिज कर फैसल किया है। इसके विपरीत वर्तमान राजस्व अभिलेख जमाबन्दी के अवलोकन/परीक्षण में विवादित आराजीयात पर किसी प्रकार की कृषि ऋण राशि बकायत नही होना पाया है। जैसा कि अपीलार्थी अधिवक्ता ने अपनी प्रस्तुत बहस में समायत अभिकथनों में भी जाहिर किया है। यहा यह भी उल्लेखनीय होगा कि वक्त तथाकथित नामान्तरकरण संख्या 441 दिनांक 20.12.2006 को त्तकालीन खातेदार श्री दूदा पिता लादु गुर्जर, बाली बेवा लादु गुर्जर की कोई बेंक ऋण राशि स्टेट बेंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा सरदारनगर तहसील बनेडा में बकायत थी अथवा नही यदि ऐसी कोई कृषि ऋण राशि बकायत थी तो उस दशा में उपरोक्त बैचान प्रश्नास्पद स्थिति में नल एण्ड वोईड यानि अमान्य की श्रैणी में माना जावेगा। फिर भी हम अपीलार्थीपक्ष के इस तर्क से सहमत है कि अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अधीनस्थ न्यायालय द्वारा तथ्यों की सम्पूर्ण जानकारी लिये बिना ही आदेश पारित कर महत्वपूर्ण विधिक एवं तथ्यात्मक त्रुटी की है, ऐसी स्थिति में अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किये जाने योग्य है।

: : आदेश : :

अतः अपील अपीलार्थी आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन नामा. संख्या 441 आदेश दिनांक 20–12–2006 ग्राम पंचायत उपरेडा अपास्त किया जाकर प्रकरण को तहसीलदार बनेड़ा को रिमाण्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। तहसीलदार उक्त प्रकरण में यह जांच करें कि दिनांक 20.11.2006 को अपीलार्थी द्वारा क्रय से पूर्व उक्त भूमि रहनमुक्त/नोड्यूज एस0बी0बी0जे0 शाखा सरदारनगर द्वारा किया जा चुका था अथवा नही। उक्त जांच उपरान्त अजसिरे से उभय पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर समुचित/आवश्यक साक्ष्य का परीक्षण कर ही 6 माह की समयावधि में नवीन निर्णय पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 17.10.2017 को खुले न्यायालय में मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया। उक्त निर्णय की प्रति तहसीलदार बनेडा को पालनार्थ प्रेषित हो।

(रतनलाल रेगर)
उपखण्ड अधिकारी
बनेड़ा (भीलवाड़ा)